मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन–462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbsevk@gmail.com

क्रमांक/ 1762 /2021 भोपाल, दिनांक 20/12/2021

// विज्ञप्ति//

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2021 के लिये नवीन ऑनलाइन आवेदन एवं 2017 से वर्ष 2020 तक के लिये नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 15/12/2021 से बढाकर 31 दिसम्बर 2021 किये जाने के संबंध मे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल के माध्यम से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कालेज एण्ड यूनीवर्सिटीज स्टूडेन्ट की नवीन छात्रवृत्ति एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति ब लिये ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 से बढाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2021 मे उत्तीर्ण Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु एवं वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक के चयनित विद्यार्थी नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाइन ही भरेंगें।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के लिये प्रविर्ष 4299 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कोटा निर्धारित है, जिसमे से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियॉ छात्राओं के लिये एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियॉ छात्रों के लिये निर्धारित की गई हैं। उपरोक्त संख्या को 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों मे वितरित किया जावेगा। इन अभ्यार्थियों मे सभी वर्गो का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजाती, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अन्य पिछडा वर्ग एवं 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां विकलांग अभ्यार्थियों हेतु कोटा आवंटित है।

इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिये मण्डल हायर सेकण्डरी परीक्षा सत्र 2020–2021 मे Top 20 Percentile वाले ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी जो सत्र 2021–2022 मे नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत हैं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के हायर सेण्कडरी परीक्षा के Top 20 Percentile विद्यार्थियों की सूची मे से सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिये ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के आवेदनों का संस्था स्तर एवं राज्य स्तर पर सत्यापन पूर्ण हे जाने के उपरान्त कुल सत्यापित आवेदनों मे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट मे लिये गऐ विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अतः यह आवश्यक नही है कि Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु दिशा–निर्देश वेबसाइट www.mpbse.nic.in एवं http://www.scholarships.gov.in (नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल) पर उपलब्ध है।

भारत शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं विद्यार्थी को अपने स्वॅय के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे खोलकर उसे आधार से जोडा जाना अनिवार्य किया गया है।

Online/Offline आधार कार्ड संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाइट http://www.aadharcarduidai.in/ aadhar-card-apply-online-offline पर उपलब्ध है।

विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वॅय करेंगे एवं आवेदन करने के पश्चात पावती हेतु प्रिन्ट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्डकापी अपने अध्ययनरत संस्थान मे जमा कर संस्था से अनिवार्य रूप से सत्यापित करावें।

S. Dahima

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र. भोपाल